प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 28 फरवरी 2025

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी श्रीनिवास पुत्र श्री जालिपा प्रसाद, निवासी जनपद-सीतापुर, वर्तमान निवासी जनपद-लखनऊ की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-12154/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-16-03-2023) दिनांक-13-04-2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी श्रीनिवास पुत्र श्री जालिपा प्रसाद, शंकरपुर झिसनी, थाना-थानगांव, जिला- सीतापुर वर्तमान निवासी-बीकामऊ खुर्द, थाना-बी०के०टी०, जनपद-लखनऊ का निवासी है। जमीनी विवाद एवं पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 17.11.2006 को बन्दी ने अपने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर नाजायज असलहा, कांता व बांका से 1-धनदेवी, 2-कमली, 3-अंग्रेज, 4-छोटू, 5-रूचि नामक 05 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-271/2007 भा0द0वि0 की धारा-148, 302/149, 449 में विशेष न्यायाधीश (ई०सी०एक्ट०), सीतापुर के आदेश दिनांक 23.02.2015 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया एवं (2)-ए०एस०जे0-05, सीतापुर के आदेश दिनांक 27.10.2018 द्वारा धारा-3 यू०पी०जी० एक्ट में 07 वर्ष का कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक-13.12.2022 तक अपरिहार 16 वर्ष, 11 दिन तथा सपरिहार 18 वर्ष, 07 माह 15 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) एवं जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, भविष्य में अपराध करने में अशक्त होने, जेल में आगे निरूद्ध करने का सार्थक प्रयोजन होने, दोनो पक्षो में अभी भी हत्या को लेकर तनाव होने के दृष्टिगत बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बार्ड का अभिमत है कि बन्दी द्वारा जमीनी विवाद एवं पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 17.11.2006 को बन्दी ने अपने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर नाजायज असलहा, कांता व बांका से 05 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी श्रीनिवास पुत्र श्री जालिपा प्रसाद को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी श्रीनिवास (बन्दी संख्या-48398) पुत्र श्री जालिपा प्रसाद, निवासी जनपद-सीतापुर, वर्तमान निवासी जनपद-लखनऊ को यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की फार्म-ए/लाइसेन्स पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

शिव गोपाल सिंह

संयुक्त सचिव।

संख्या-203/2025/2153(1)/22-2-2023 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार बरेली।

3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

ममता श्रीवास्तव

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-203/2025/2153/22-2-2023-17(1492)/2023

दिनांक 28 फरवरी 2024 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी श्रीनिवास पुत्र श्री जालिपा प्रसाद, शंकरपुर झिसनी, थाना-थानगांव, जिला- सीतापुर वर्तमान निवासी-बीकामऊ खुर्द, थाना-बी०के०टी०, जनपद-लखनऊ का निवासी है। जमीनी विवाद एवं पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 17.11.2006 को बन्दी ने अपने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर नाजायज असलहा, कांता व बांका से 1-धनदेवी, 2-कमली, 3-अंग्रेज, 4-छोटू, 5-रूचि नामक 05 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-271/2007 भा0द0वि0 की धारा-148, 302/149, 449 में विशेष न्यायाधीश (ई०सी०एक्ट०), सीतापुर के आदेश दिनांक 23.02.2015 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया एवं (2)-ए०एस०जे0-05, सीतापुर के आदेश दिनांक 27.10.2018 द्वारा धारा-3 यू०पी०जी० एक्ट में 07 वर्ष का कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक-13.12.2022 तक अपरिहार 16 वर्ष, 11 दिन तथा सपरिहार 18 वर्ष, 07 माह 15 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) एवं जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, भविष्य में अपराध करने में अशक्त होने, जेल में आगे निरूद्ध करने का सार्थक प्रयोजन होने, दोनो पक्षो में अभी भी हत्या को लेकर तनाव होने के दृष्टिगत बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बार्ड का अभिमत है कि बन्दी द्वारा जमीनी विवाद एवं पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 17.11.2006 को बन्दी ने अपने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर नाजायज असलहा, कांता व बांका से 05 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी श्रीनिवास पुत्र श्री जालिपा प्रसाद को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बन्दी की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

शिव गोपाल सिंह

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।